भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2503

जिसका उत्तर 13 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

जीर्ण-शीर्ण बांधों और नहरों की मरम्मत

2503. श्री वीरेन्द्र सिंह:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति के तहत देश भर में जीर्ण-शीर्ण हो चुकी नहरों और छोटे बांधों की मरम्मत के लिए बजट आवंटित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस प्रावधान के तहत उत्तर प्रदेश के कृषि प्रधान जिले चंदौली के लिए विशेष रूप से कितना बजट आवंटित किया गया है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): जल राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं, विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (ईआरएम) परियोजनाओं और खराब नहरों तथा छोटे बांधों की मरम्मत सहित जल संसाधन परियोजनाओं को राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकताओं और धन की उपलब्धता के अनुसार स्वयं कार्यान्वित किया जाता है। भारत सरकार राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित सिंचाई परियोजनाओं को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और राष्ट्रीय परियोजना स्कीम के तहत आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मौजूदा सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (ईआरएम) या पुरानी सिंचाई परियोजनाओं के पुनरूद्धार को भी उपरोक्त योजना के तहत आंशिक रूप से वित्त पोषित किया जाता है। वर्ष 2016 में पीएमकेएसवाई के शुभारंभ के साथ, **अनुलग्नक** में दिए गए विवरण के अनुसार पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत नौ (09) ईआरएम परियोजनाएं शामिल की गई हैं।

इसके अलावा, देश भर में चयनित मौजूदा बड़े बांधों की सुरक्षा और प्रचालनात्मक कार्यनिष्पादन में सुधार करने के साथ-साथ बांध सुरक्षा के लिए संस्थागत सुदृढ़ीकरण हेतु, भारत सरकार बाहरी वित्त पोषण के साथ बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (ड्रिप) को कार्यान्वित कर रही है।

वर्ष 2021 में ड्रिप चरण-I कार्यक्रम पूरा होने के बाद, भारत सरकार ने ड्रिप चरण-II और III योजना शुरू की है। इस योजना में 19 राज्यों में स्थित 736 बड़े बांधों के पुनरूद्धार और सुरक्षा में सुधार की परिकल्पना की गई है, जिसका बजट परिव्यय 10,211 करोड़ रुपये है। यह योजना 10 वर्ष की अवधि की है। ड्रिप चरण-II 12 अक्टूबर 2021 से परिचालित हो गया है, और इसे विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना तथा निवेश बैंक द्वारा सह-वित्तपोषित किया जा रहा है।

(ख): उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में नहरों, बांधों और बाढ़ कार्यों की वार्षिक मरम्मत के लिए 1,822.63 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।

*****

अनुलग्नक

"जीर्ण-शीर्ण बांधों और नहरों की मरम्मत" के संबंध में दिनांक 13.03.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2503 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत शामिल 09 ईआरएम परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	वर्ष 2016 से अब तक जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)	वर्ष 2016-24 में सृजित/पुनर्स्थापित सिंचाई क्षमता (हजार हेक्टेयर)	स्थिति
1.	छत्तीसगढ	मनियारी टैंक परियोजना	3.62	0.30	पूर्ण
2.	छत्तीसगढ	खारुंग परियोजना	-	9.21	पूर्ण
3.	जम्मू और कश्मीर	मुख्य रावी नहर का बहाली एवं आधुनिकीकरण	15.29	5.52	पूर्ण
4.	कर्नाटक	नारायणपुर बायाँ तट नहर प्रणाली परियोजना	929.4	99.70	जारी (लगभग पूरा हो चुका है)
5.	ओडिशा	आनंदपुर बैराज चरण- I / एकीकृत आनंदपुर बैराज	28.01	2.85	जारी
6.	पंजाब	प्रथम पटियाला फीडर और कोटला शाखा परियोजना का पुनरूद्धार	6.66	30.39	पूर्ण
7.	राजस्थान	गंग नहर का आधुनिकीकरण	30.75	0.53	पूर्ण
8.	असम	सुक्ला सिंचाई परियोजना का ईआरएम	41.98	-	जारी (2021-22 में शामिल)
9.	मणिपुर	लोकतक लिफ्ट सिंचाई परियोजना (चरण-I) का ईआरएम ,	30.78	7.95	जारी (2022-23 में शामिल)

*****